



प्रेस नोट थाना स्योहारा

थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत हुई वृद्ध महिला की हत्या का पर्दाफाश, अभियुक्त मौ० अली उर्फ बाबा घटना में प्रयुक्त लकड़ी की पटली सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 16.09.2021 को थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत अनीसा उम्र करीब 80 वर्ष पति बसारात नि०ग्राम उमरी कलां थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर का शव अनीसा के नाती/धेवते युनुस पुत्र मौ० उस्मान नि०ग्रा० फैजुल्लापुर थाना स्योहारा बिजनौर के घर से बरामद हुआ था, जिसके सिर पर किसी बलन्ट ऑब्जेक्ट से प्रहार किया गया था। स्थानीय पुलिस, डॉंग स्कवॉयड, फील्ड युनिट तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा शव के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी।

युनुस उपरोक्त द्वारा तहरीर दी कि उसकी नानी अनीसा उनके घर में अकेली रहती थी। दिनांक 15/16.09.2021 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नानी अनीसा उपरोक्त की सिर में चोट मारकर व गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 508/21 धारा – 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

मेरे द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्योहारा पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी धामपुर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.09.2021 को समय 09.45 बजे थाना स्योहारा पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त मौ० अली उर्फ बाबा पुत्र सदवा नि०ग्राम सफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मुखबिर की सूचना पर नवादा चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी की पटली व घटना वाले दिन पहनी खून लगी टी-शर्ट बरामद की गयी।

अभियुक्त मौ० अली द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं दिहाडी मजदूर हूँ तथा मुझे नशा करने की भी आदत है। अपनी रोजमर्रा/नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिये छोटी-मोटी चोरी भी कर लेता था। मुझे पता था कि अनीसा उपरोक्त अपने घर में अकेले रहती है। इसलिये दिनांक 15/16.09.2021 की रात्रि में मैं अकेला ही अनीसा उपरोक्त के घर में चोरी करने के उद्देश्य से चला गया, चोरी करने के दौरान अनीसा जाग गई और उसने मुझे पहचान लिया था। पकड़े जाने के डर से मैंने वहीं पर पडी लकड़ी की पटली उठाकर उसके सिर में मार दी तथा उसी की चुन्नी से फंदा बनाकर उसका गला घोट दिया और वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौ० अली उर्फ बाबा पुत्र सदवा नि०ग्राम सफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त लकड़ी की पटली
2. घटना के दिन पहनी टी-शर्ट जिस पर खून के धब्बे

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 508/21 धारा – 302 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना स्योहारा:-

1. थानाध्यक्ष श्री आशीष कुमार तोमर
2. व०उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
3. उ०नि० श्री हरीश कुमार
4. है०का० 353 पुरुषोत्तम
5. है०का० 358 शाहनवाज
6. का० 1535 अमित सहगल
6. का० 1532 उमेश कुमार
6. है०का० चालक राकेश कुमार



थाना चांदपुर:- आज दिनांक 19.09.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त जोगराज पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम नागौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना चांदपुर:- आज दिनांक 19.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त हुकम सिंह पुत्र जसराम निवासी ग्राम खाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 582/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना चांदपुर:- आज दिनांक 19.09.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त ओमबीर पुत्र भगवाना निवासी ग्राम बमनोला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 19.09.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम पुत्र भोपाल निवासी ग्राम बहादरपुर जट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 378/21 धारा 307ए/504ए/34 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना हल्दौर:- आज दिनांक 19.09.2021 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सोनू पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम कुम्हारपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को वाद सं0 759/13 धारा 323/325 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना हीमपुरदीपा पुलिस द्वारा ग्राम शुदनीपुर रावटी मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा ग्राम बूढ़पुर नैन सिंह, चितावर, इस्लामपुर, साहू, हुसैनपुर, मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा ग्राम नूरपुर छिपरी मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना रेहड पुलिस द्वारा ग्राम राजौरी छिपरी मे महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

